

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

भू-अर्जन निदेशालय

पटना, बिहार

अधिसूचना

पत्रांक - २३५.१/२८०

14 / डी०एल०ए० सारण (मुख्यमंत्री सेतु) - 42 / 2013

दिनांक - २५ - ०९ - १३

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- शोभेपुर, थाना- सोनपुर, थाना नं०- 21 परगना- कसमर जिला- सारण, छपरा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् मुख्यमंत्री सेतु निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर यानि बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अर्जन अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए ग्राम- शोभेपुर, थाना- सोनपुर, थाना नं०- 21 के अन्दर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.53 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा नं० निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा नंम्बर :— 1019 अंश, 1020 अंश, 1021 अंश, 1023 अंश, 1024 अंश।

अर्जनाधीन भूमि की चौहदी

उत्तर — 1018 पूर्ण, 1019 अंश।

दक्षिण — 1023 अंश, 1024 अंश।

पूरब — सड़क।

पश्चिम — बाँध।

इस अधिसूचना को भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनका इससे संबंध है।

इस भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण, छपरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण, छपरा एवं उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत् समय लगे बिहार सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण कर तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) यथा उपबंधित तथा विर्निदिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि का अर्जन तुरन्त आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (A) के उपबंध उक्त जमीन पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्याल के आदेश से

समाहता
सारण

उक्त
सरकार के अधिकारी सचिव
बिहार पटना

ज्ञापांक संख्या – 14/डी० एल० ए० सारण (मुख्यमंत्री सेतु)–42/2013 – २३५। | रा०,
फृ०-२५-०९-१३

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहत्ता, जिला गजट, समाहरणालय, सारण को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहत्ता, सारण को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

६०/२५/१३
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।